

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ़
पीठासीन अधिकारी का नाम : पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)
प्रकरण संख्या - 905/2024

अनवान : -

1- अभिषेक पुत्र रोहिताश कुमार जाति जाट निवासी खिनानियां तहसील टिब्बी ।

— वादी

बनाम

- 1- विक्रम सिंह पुत्र रामप्रताप जाति जाट निवासी खिनानियां तहसील टिब्बी ।
- 2- मन्जू पत्नी विक्रम सिंह जाति जाट निवासी खिनानियां तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़ ।
- 3- रोहिताश पुत्र रामप्रताप जाति जाट निवासी खिनानियां तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़ ।
- 4- शकुंतला पत्नी रोहिताश कुमार जाति जाट निवासी खिनानियां तहसील टिब्बी ।
- 5- ममता पुत्री रोहिताश कुमार जाति जाट निवासी खिनानियां तहसील टिब्बी ।
- 6- गुडी पत्नी रामप्रताप जाति जाट निवासी खिनानियां तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़ ।
- 7- रेखा पुत्र रामप्रताप जाति जाट निवासी खिनानियां तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़ ।
- 8- राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार (राजस्व) नोहर ।

— प्रतिवादीगण

**दावा बाबत अन्तर्गत धारा 88-89 ,राजस्थान काश्त0
अधि0 1955**

उपस्थिति :- श्री रविन्द्र कुमार गोदारा अधिवक्ता वादी
पेरोकार राज

निर्णय

दिनांक: 30/9/2024

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया है कि रोही मौजा 17 केएनएन तहसील नोहर के जमाबन्दी सम्वत 2077-2080 के खाता संख्या 110/110 के कुल खसरे 66 का कुल क्षेत्रफल 12.9030 है0 भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है ।

उपरोक्त कृषि भूमि वादी की दादालाई खातेदारी कृषि भूमि है जिसमें वादी का जन्म जात हक हिस्सा है वादी के दादा रामप्रताप पुत्र रावताराम का स्वर्गवास हो चुका है जिसके वारिस गुडी (पत्नी), रोहिताश (पुत्र), विक्रम सिंह (पुत्र), रेखा (पुत्री) है तथा रोहिताश के वारिस ममता (पत्नी, अभिषेक (पुत्र) है व विक्रम सिंह की वारिस मन्जू (पत्नी) है । प्रतिवादीया संख्या 5 जो कि वादी की बहिन है उपरोक्त भूमि में कोई हक हिस्सा नहीं लेना चाहती है तथा अपना जो भी हक हिस्सा है वह अपने पिता/भाई के पक्ष में परित्याग कर दिया है तथा प्रतिवादीया संख्या 6 जो कि वादी की दादी है उपरोक्त भूमि में कोई हक हिस्सा नहीं लेना चाहती है तथा अपना जो भी हक हिस्सा है वह अपने पुत्रों व उनके वारिसों के पक्ष में परित्याग कर चुकी है तथा प्रतिवादीया संख्या 7 जो कि वादी की बुआ है उपरोक्त भूमि में कोई हक हिस्सा नहीं लेना चाहती है तथा अपना जो भी हक हिस्सा है वह अपने भाईयो व उनके वारिसों के पक्ष में


**उपखण्ड अधिकारी
नोहर**

परित्याग कर चुकी है बाद हक त्याग रोही मौजा 17 केएनएन तहसील नोहर के जमाबन्दी सम्वत 2077-2080 के खाता संख्या 110/110 के कुल खसरे 66 का कुल क्षेत्रफल 12.9030 है० भूमि में से प० नं० 292/380 (39) किला नं. 21, 22 की 0.506 है०, 292/381 (46) के किला नं. 1/1 की 0.026 है०, 1/2 की 0.227 है०, 2/1 की 0.025 है०, 2/1 की 0.228 है०, 9 ता 12 की 1.012 है०, 19 ता 22 की 1.012 है० प० नं० 291/381 (45) किला नं. 4/1 की 0.025 है०, 4/2 की 0.228 है०, 5/1 की 0.025 है०, 5/2 की 0.228 है०, 6-7 की 0.506 है०, 8 की 0.253 है०, 13 ता 18 की 1.518 है०, 23 की 0.013 है०, 24, 25 की 0.506 है० कुल 6.338 है० जिसमें नहरी- 6.237 है० व खाला-0.101 है० भूमि में से 3.390 है० भूमि पर प्रतिवादी संख्या 3 काबिज है व 1.771 है० भूमि पर प्रतिवादीया संख्या 4 काबिज है व 1.177 है० भूमि पर वादी काबिज है तथा प० नं० 290/381 (44) के किला नं. 4/1 की 0.025 है०, 4/2 की 0.228 है०, 5/1 की 0.026 है०, 5/2 की 0.227 है०, 6, 7 की 0.506 है०, 14 ता 16 की 0.759 है०, 25 की 0.253 है०, प० नं० 290/382 (63) के किला नं. 5/1 की 0.025 है०, 5/2 की 0.228 है० प० नं० 291/381 (45) के किला नं. 1/1 की 0.026 है०, 1/2 की 0.227 है०, 2/1 की 0.025 है०, 2/2 की 0.228 है०, 3/1 की 0.025 है०, 3/2 की 0.228 है०, 9 ता 12 की 1.012 है०, 19 ता 22 की 1.012 है०, 23/2 की 0.240 है०, प० नं० 291/382 (62) किला नं. 1/1 की 0.026 है०, 1/2 की 0.227 है०, 2/1 की 0.025 है०, 2/2 की 0.228 है० 3/1 की 0.25 है०, 3/2 की 0.228 है०, 4/1 की 0.025 है०, 4/2 की 0.228 है०, 5/1 की 0.025 है०, 5/2 की 0.228 है० कुल रकबा-6.565 है० जिसमें नहरी-6.287 है० व रास्ता-0.151 है० व खाला 0.127 जिसमें 3.390 है० पर प्रतिवादी संख्या 1 काबिज है व 3.175 है० भूमि पर प्रतिवादीया संख्या 2 काबिज है। इसी अनुसार वादी न्यायालय से घोषणा करवा पाने का अधिकारी हैं।

वादी ने प्रतिवादीगण को कई दफा कहा की मुताबिक बाहमी बंटवारा खाता व लगान अलग करवा लेवे तो प्रतिवादीगण कुछ दिन तो आजकल करते रहे किंतु अंत में इन्कार हो गये इसिलिए यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावें की वादी के हक हिस्सा की भूमि है जिसे अपने बाहमी बंटवारे के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावें।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के बाद प्रतिवादी सं० 1 ता 7 ने जरिये अधिवक्ता वादी के वाद को स्वीकार करते हुए इकबाल दावा पेश किया जाकर निवेदन किया की वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 7 को कोई ऐतराज नहीं है। प्रतिवादी संख्या 8 परोकार राज ने जवाब पेश किया जो की शामिल मिसल किया गया। वादी ने वाद के समर्थन में बतौर दस्तावेजी साक्ष्य नवीनतम जमाबंदी रोही मौजा 17 केएनएन सम्वत 2077-80 खाता सं० 110/110, नजरी नक्शा पेश किये जो की शामिल मिसल किये गये।


 उपसंयोजक अधिकारी
 नोहर

प्रकरण में प्रतिवादीगण का इकबाल प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नहीं रही साक्ष्य में वादी के द्वारा शपथ पत्र पेश किया गया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नहीं करने के कारण जिरह शून्य रही तत्पश्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

बहस वकील उभयपक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने कथन किया कि उक्त वाद भूमि वादी की दादालाई कृषि भूमि है जो की वर्तमान में वादी एवं प्रतिवादीगण के नाम दर्ज है। वादी व प्रतिवादीगण का वाद भूमि बाबत बाहमी बंटवारा हो चुका है एवं मुताबिक बंटवारा ही वाद भूमि का खाता व लगान अलग करवाना चाहते है। प्रतिवादीगण द्वारा वादी के वाद को स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के संबंध में कोई एतराज नहीं है। अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावें।

पैरोकार राज ने निवेदन किया की वादी ने दादालाई/पैतृक सम्पति का वाद पेश किया है वादी के साक्ष्य सबूतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावें।

हमारे द्वारा अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। वाद में प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा 17 केएनएन तहसील नोहर के जमाबन्दी सम्वत 2077-2080 के खाता संख्या 110/110 के कुल खसरे 66 का कुल क्षेत्रफल 12.9030 है० भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है। वादी का कथन है कि उपरोक्त कृषि भूमि वादी की दादालाई खातेदारी कृषि भूमि है जिसमें वादी का जन्म जात हक हिस्सा है वादी के दादा रामप्रताप पुत्र रावताराम का स्वर्गवास हो चुका है जिसके वारिस गुडी (पत्नी), रोहिताश (पुत्र), विक्रम सिंह (पुत्र), रेखा (पुत्री) है तथा रोहिताश के वारिस ममता (पत्नी, अभिषेक (पुत्र) है व विक्रम सिंह की वारिस मन्जू (पत्नी) है। प्रतिवादीया संख्या 5 जो कि वादी की बहिन है उपरोक्त भूमि में कोई हक हिस्सा नहीं लेना चाहती है तथा अपना जो भी हक हिस्सा है वह अपने पिता/भाई के पक्ष में परित्याग कर दिया है तथा प्रतिवादीया संख्या 6 जो कि वादी की दादी है उपरोक्त भूमि में कोई हक हिस्सा नहीं लेना चाहती है तथा अपना जो भी हक हिस्सा है वह अपने पुत्रों व उनके वारिसों के पक्ष में परित्याग कर चुकी है तथा प्रतिवादीया संख्या 7 जो कि वादी की बुआ है उपरोक्त भूमि में कोई हक हिस्सा नहीं लेना चाहती है तथा अपना जो भी हक हिस्सा है वह अपने भाईयो व उनके वारिसों के पक्ष में परित्याग कर चुकी है बाद हक त्याग रोही मौजा 17 केएनएन तहसील नोहर के जमाबन्दी सम्वत 2077-2080 के खाता संख्या 110/110 के कुल खसरे 66 का कुल क्षेत्रफल 12.9030 है० भूमि में से प० नं० 292/380 (39) किला नं. 21, 22 की 0.506 है०, 292/381 (46) के किला नं. 1/1 की 0.026 है०, 1/2 की 0.227 है०, 2/1 की 0.025 है०, 2/1 की 0.228 है०, 9 ता 12 की 1.012 है०, 19 ता 22 की 1.012 है० प० नं० 291/381 (45) किला नं. 4/1 की 0.025 है०, 4/2 की 0.228 है०, 5/1 की 0.025 है०, 5/2 की 0.228 है०, 6-7 की 0.506 है०, 8 की 0.253 है०, 13 ता 18 की 1.518 है०, 23 की 0.013 है०, 24, 25 की 0.506 है० कुल 6.338 है० जिसमें नहरी- 6.237 है० व खाला-0.101 है० भूमि में से 3.390 है० भूमि पर प्रतिवादी संख्या 3 काबिज है व 1.771 है० भूमि पर प्रतिवादीया संख्या 4 काबिज है व 1.177 है० भूमि पर वादी काबिज है तथा प० नं० 290/381

अध्यक्ष अधिकारी
नोहर

(44) के किला नं. 4/1 की 0.025 है, 4/2 की 0.228 है, 5/1 की 0.026 है, 5/2 की 0.227 है, 6, 7 की 0.506 है, 14 ता 16 की 0.759 है, 25 की 0.253 है, प० नं० 290/382 (63) के किला नं. 5/1 की 0.025 है, 5/2 की 0.228 है प० नं० 291/381 (45) के किला नं. 1/1 की 0.026 है, 1/2 की 0.227 है, 2/1 की 0.025 है, 2/2 की 0.228 है, 3/1 की 0.025 है, 3/2 की 0.228 है, 9 ता 12 की 1.012 है, 19 ता 22 की 1.012 है, 23/2 की 0.240 है, प० नं० 291/382 (62) किला नं. 1/1 की 0.026 है, 1/2 की 0.227 है, 2/1 की 0.025 है, 2/2 की 0.228 है 3/1 की 0.25 है, 3/2 की 0.228 है, 4/1 की 0.025 है, 4/2 की 0.228 है, 5/1 की 0.025 है, 5/2 की 0.228 है कुल रकबा-6.565 है जिसमें नहरी-6.287 है व रास्ता-0.151 है व खाला 0.127 जिसमें 3.390 है पर प्रतिवादी संख्या 1 काबिज है व 3.175 है भूमि पर प्रतिवादी संख्या 2 काबिज है, वादी के उक्त कथनों को प्रतिवादीगण द्वारा स्वीकार करते हुए इकबाल पेश किया गया है कि वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो प्रतिवादीगण को कोई ऐतराज नहीं है। अतः वाद वादी साक्ष्य सबूतों एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष स्वीकार योग्य है।

अतः वाद वादी साक्ष्य सबूतों तथा प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा 17 केएनएन तहसील नोहर के जमाबन्दी सम्वत 2077-2080 के खाता संख्या 110/110 के कुल खसरे 66 का कुल क्षेत्रफल 12.9030 है भूमि में से प० नं० 292/380 (39) किला नं. 21, 22 की 0.506 है, 292/381 (46) के किला नं. 1/1 की 0.026 है, 1/2 की 0.227 है, 2/1 की 0.025 है, 2/2 की 0.228 है, 9 ता 12 की 1.012 है, 19 ता 22 की 1.012 है प० नं० 291/381 (45) किला नं. 4/1 की 0.025 है, 4/2 की 0.228 है, 5/1 की 0.025 है, 5/2 की 0.228 है, 6-7 की 0.506 है, 8 की 0.253 है, 13 ता 18 की 1.518 है, 23 की 0.013 है, 24, 25 की 0.506 है कुल 6.338 है जिसमें नहरी- 6.237 है व खाला-0.101 है भूमि में से 3.390 है भूमि का प्रतिवादी संख्या 3 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है व 1.771 है भूमि का प्रतिवादी संख्या 4 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है व 1.177 है भूमि का वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा प० नं० 290/381 (44) के किला नं. 4/1 की 0.025 है, 4/2 की 0.228 है, 5/1 की 0.026 है, 5/2 की 0.227 है, 6, 7 की 0.506 है, 14 ता 16 की 0.759 है, 25 की 0.253 है, प० नं० 290/382 (63) के किला नं. 5/1 की 0.025 है, 5/2 की 0.228 है प० नं० 291/381 (45) के किला नं. 1/1 की 0.026 है, 1/2 की 0.227 है, 2/1 की 0.025 है, 2/2 की 0.228 है, 3/1 की 0.025 है, 3/2 की 0.228 है, 9 ता 12 की 1.012 है, 19 ता 22 की 1.012 है, 23/2 की 0.240 है, प० नं० 291/382 (62) किला नं. 1/1 की 0.026 है, 1/2 की 0.227 है, 2/1 की 0.025 है, 2/2 की 0.228 है 3/1 की 0.25 है, 3/2 की 0.228 है, 4/1 की 0.025 है, 4/2 की 0.228 है, 5/1 की 0.025 है, 5/2 की 0.228 है कुल रकबा-6.565 है जिसमें नहरी-6.287 है व रास्ता-0.151 है व खाला 0.127 जिसमें 3.390 है भूमि का प्रतिवादी

संख्या 1 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है व 3.175 है0 भूमि का प्रतिवादीया संख्या 2 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/- रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावें। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन को पक्षकारान के हिस्सा पर यथावत रखते हुए तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार मुताबिक नजरीया नक्शा राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरुस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 30/9/2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

CL
(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ़
पीठासीन अधिकारी का नाम : पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या - 905/2024

अनवान : -

- 1- अभिषेक पुत्र रोहिताश कुमार जाति जाट निवासी खिनानियां तहसील टिब्बी ।

— वादी

बनाम

- 1- विक्रम सिंह पुत्र रामप्रताप जाति जाट निवासी खिनानियां तहसील टिब्बी ।
2- मन्जू पत्नी विक्रम सिंह जाति जाट निवासी खिनानियां तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़ ।
3- रोहिताश पुत्र रामप्रताप जाति जाट निवासी खिनानियां तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़ ।
4- शकुंतला पत्नी रोहिताश कुमार जाति जाट निवासी खिनानियां तहसील टिब्बी ।
5- ममता पुत्री रोहिताश कुमार जाति जाट निवासी खिनानियां तहसील टिब्बी ।
6- गुडी पत्नी रामप्रताप जाति जाट निवासी खिनानियां तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़ ।
7- रेखा पुत्र रामप्रताप जाति जाट निवासी खिनानियां तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़ ।
8- राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार (राजस्व) नोहर ।

— प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955


राजस्व वाद संख्या 905 सन 2024 निर्णय दिनांक 30/9/2024

आज यह वाद मुझ पंकज गढ़वाल उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष वकील वादी श्री रविन्द्र गोदारा एवं राज पेरोकार की उपस्थिति में निर्णयार्थ/अंतिम निपटारे हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबूतों तथा प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा 17 केएनएन तहसील नोहर के जमाबन्दी सम्वत 2077-2080 के खाता संख्या 110/110 के कुल खसरे 66 का कुल क्षेत्रफल 12.9030 है0 भूमि में से प0 नं0 292/380 (39) किला नं. 21, 22 की 0.506 है0, 292/381 (46) के किला नं. 1/1 की 0.026 है0, 1/2 की 0.227 है0, 2/1 की 0.025 है0, 2/1 की 0.228 है0, 9 ता 12 की 1.012 है0, 19 ता 22 की 1.012 है0 प0 नं0 291/381 (45) किला नं. 4/1 की 0.025 है0, 4/2 की 0.228 है0, 5/1 की 0.025 है0, 5/2 की 0.228 है0, 6-7 की 0.506 है0, 8 की 0.253 है0, 13 ता 18 की 1.518 है0, 23 की 0.013 है0, 24, 25 की 0.506 है0 कुल 6.338 है0 जिसमें नहरी- 6.237 है0 व खाला-0.101 है0 भूमि में से 3.390 है0 भूमि का प्रतिवादी संख्या 3 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है व 1.771 है0 भूमि का प्रतिवादी संख्या 4 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है व 1.177 है0 भूमि का वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा प0 नं0 290/381 (44) के किला नं. 4/1 की 0.025 है0, 4/2 की 0.228 है0, 5/1 की 0.026 है0, 5/2 की 0.227 है0, 6, 7 की 0.506 है0, 14 ता 16 की 0.759 है0, 25 की 0.253 है0, प0 नं0 290/382 (63) के किला नं. 5/1 की 0.025 है0, 5/2 की 0.228 है0 प0 नं0 291/381 (45) के किला नं. 1/1 की 0.026 है0, 1/2 की 0.227 है0, 2/1 की 0.025 है0, 2/2 की 0.228 है0, 3/1

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

की 0.025 है0, 3/2 की 0.228 है0, 9 ता 12 की 1.012 है0, 19 ता 22 की 1.012 है0, 23/2 की 0.240 है0, प0 नं0 291/382 (62) किला नं. 1/1 की 0.026 है0, 1/2 की 0.227 है0, 2/1 की 0.025 है0, 2/2 की 0.228 है0 3/1 की 0.25 है0, 3/2 की 0.228 है0, 4/1 की 0.025 है0, 4/2 की 0.228 है0, 5/1 की 0.025 है0, 5/2 की 0.228 है0 कुल रकबा-6.565 है0 जिसमें नहरी-6.287 है0 व रास्ता-0.151 है0 व खाला 0.127 जिसमें 3.390 है0 भूमि का प्रतिवादी संख्या 1 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है व 3.175 है0 भूमि का प्रतिवादी संख्या 2 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/- रु का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन को पक्षकारान के हिस्सा पर यथावत रखते हुए तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार मुताबिक नजरीया नक्शा राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरुस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 30/9/2024 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।


(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर